न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 12/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

आवास फाईनेसियर्स लिमिटेड (जो पूर्व में ए. यू. हाउसिंग फायनेन्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 201–202, 2 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर–302020।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. शिवप्रसाद मीणा पुत्र कानाराम मीणा, ऋणी
   पताः– निवासी वार्ड नम्बर 29, अम्बेडकर भवन के पास, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर–332311 हालः– प्लॉट नम्बर (पट्टा नम्बर 469) खसरा नम्बर 265, निवासी मावलियों की ढ़ाणी रोड़, एस.डी.एम. कोर्ट के पास, वार्ड नम्बर 29, लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2. सरोज मीणा पत्नी शिव प्रसाद मीणा, सहऋणी
   पताः– निवासी 217, वार्ड नम्बर 29, अम्बेडकर भवन के पास, गोशाला रोड़, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर– 332311।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 11 फरवरी, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विजय सिंह तंवर** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **शिवप्रसाद मीणा, सरोज मीणा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **शिवप्रसाद मीणा पुत्र कानाराम मीणा की सम्पति जो मावलियों की ढ़ाणी रोड़, एस.डी.एम. कोर्ट के पास, वार्ड नम्बर 29, लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में स्थित है, जिसके पट्टा संख्या 469 हैं तथा जिसका नाप 44.36 वर्गगज है तथा जिसके उत्तर में महावीर व मुन्नाराम, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में लक्ष्मणगढ़ से मावलिया की ढ़ाणी जाने वाली सड़क, पश्चिम में मकान राधेश्याम पुत्र नानकराम खटीक स्थित हैं,** को बंधक रखकर 4,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये **चार लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **12.11.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **12.11.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **शिवप्रसाद मीणा, सरोज मीणा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **शिवप्रसाद मीणा पुत्र कानाराम मीणा की सम्पति जो मावलियों की ढ़ाणी रोड़, एस.डी.एम. कोर्ट के पास, वार्ड नम्बर 29, लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में स्थित है, जिसके पट्टा संख्या 469 हैं तथा जिसका नाप 44.36 वर्गगज है। जिसके उत्तर में महावीर व मुन्नाराम, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में लक्ष्मणगढ़ से मावलिया की ढ़ाणी जाने वाली सड़क, पश्चिम में मकान राधेश्याम पुत्र नानकराम खटीक स्थित हैं,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 11 **फरवरी, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट (राज.)
Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner